फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

रामचन्द्र सिंह बनाम अशोक सिंह वगै.

मुकदमा संख्या /वर्ष PNo-74/2020 /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आज दिनांक 17/3/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नही की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य मे व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वोक्त दिनांक 5/4/23 को पेश हों।	
05/4/23		पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पास्ते आदेश नं 06/4/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	
6/4/23		पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद में निर्णय पारित कर अन्तिम डिक्री जारी की जाने की बात मूलवाद को निर्णित किया जा चुका है। जब मूलवाद ही निर्णित हो चुका है तो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पालन जारी रखने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर सेल्फ मूलवाद रहे। निर्णय आज 06/4/23 को सुनाया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	